कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन–202001 * ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 2878/14–1, दिनांकःअलीगढ़ःमार्च 29, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **अलीगढ़–रामघाट मार्ग किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम हरदुआगंज के खसरा सं0–176 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।**

महोदय,

अलीगढ़–रामघाट मार्ग किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम हरदुआगंज के खसरा सं0–176 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 01 वृक्ष पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 3156/अलीगढ़/14131/2015, दिनांक 18.03.2016 द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

29.03

(ललित कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1, समदिनांकित।

1– प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्रांक 3156/अलीगढ़/14131/2015, दिनांक 18.03.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए–5 सैक्टर–3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग–3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।	अलीगढ़–रामघाट मार्ग किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम हरदुआगंज के खसरा सं0–176 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 01 वृक्ष पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव।
	क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

(ललित कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

तिथिः– 29.03.2016

स्थानः–अलीगढ़।